Circular No: PFRDA/2022/24/Sup-CRA/09 **29th Sep 2022**

CIRCULAR

To

Govt and Corporate Subscribers & Other NPS Stakeholders

Subject: Enabling the Govt and corporate subscribers to continue with their existing scheme choice-reg

There are instances wherein the subscribers under the Corporate and Government sectors have not exercised Inter Sector Shifting (ISS) after leaving their employment on account of resignation or retirement. Those Subscribers are still associated with their erstwhile employers in NPS architecture even though they no longer work with them.

2. The subscribers have shown reluctance to shift to the All citizen sector, since in certain cases, the scheme/ investment option made available to the subscriber during their employment may not be available in case they shift to the All Citizen Sector. Currently, such Inter Sector Shifting (ISS) may entail changes in PF/Investment.

3. *Continue with existing Investment Choice/PF*: Hence, in the interest of those subscribers, it has been decided to permit such subscribers under the Government/ Corporate sector to continue with their existing investment pattern and Pension Fund (PF) choice as an option, on their shifting to All citizen sector. For such subscribers, their prospective and legacy contributions would continue to be invested as per the existing investment pattern/PF which was prevailing during their employment.

4. Such subscribers will be free to choose any other investment pattern and PF also, rather than continuing the same investment pattern post the inter-sector shifting.

5. Further, hitherto, Govt subscribers can not contribute to their NPS account post their superannuation until they choose to continue their account. It has been decided that such subscribers under Govt sector can continue to contribute to their NPS account seamlessly even after their superannuation without the need of submitting any request in this regard.

6. *CRA Charges by the Subscriber:* Annual Maintenance Charges (AMC) and Transaction Charges of CRA for the Subscribers post their resignation/retirement will be recovered from the respective PRANs from the subsequent quarter of their retirement/resignation.

Yours sincerely,

Chief General Manager

बी - १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली - ११० ०१६
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 – 26517507, वेबसाइट :www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110 016
Phone : 011 - 26517501, 26133730 ,26133730 Fax: 011 – 26517507 website: www.pfrda.org.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव
https://www.staffnews.in

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Azadi Ka Amrit Mahotsav

परिपत्र संख्या : PFRDA/2022/24/Sup-CRA/09 29 सितम्बर 2022

परिपत्र

प्रति

सरकारी और कॉर्पोरेट अभिदाता और अन्य एनपीएस हितधारक

<u>विषय : सरकारी और कॉर्पोरेट अभिदाताओं द्वारा उनकी मौजूदा योजना विकल्प को जारी रखने का अधिकार देने के संदर्भ में</u>

ऐसा देखा गया है कि कॉर्पोरेट और सरकारी क्षेत्रों के अंतर्गत अभिदाताओं ने पदत्याग या सेवानिवृत्ति के कारण अपनी नौकरी छोड़ने के बाद इंटर सेक्टर शिफ्टिंग (आईएसएस) का प्रयोग नहीं किया है। वे अभिदाता अभी भी एनपीएस अवसंरचना में अपने पूर्व नियोक्ताओं से जुड़े हुए हैं, भले ही वे अब उनके साथ काम नहीं करते।

2. अभिदाताओं ने सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानांतरित होने में अनिच्छा जताई है, क्योंकि कुछ मामलों में, अभिदाता की नौकरी के दौरान उपलब्ध कराई गई योजना / निवेश विकल्प सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर उपलब्ध नहीं होती है। वर्तमान में, इस तरह की इंटर सेक्टर शिफ्टिंग (आईएसएस) से पीएफ / निवेश में बदलाव हो सकते हैं।

3. *<u>मौजूदा निवेश विकल्प / पेंशन निधि को जारी रखना</u>* : वस्तुतः, ऐसे अभिदाताओं के हित में, सरकारी / कॉर्पोरेट क्षेत्र के तहत अभिदाताओं को सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर एक विकल्प के रूप में अपने मौजूदा निवेश पैटर्न और पेंशन फंड (पीएफ) विकल्प को जारी रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे अभिदाताओं के लिए, उनके संभावित और पिछले अंशदान को उनकी नौकरी के दौरान प्रचलित मौजूदा निवेश पैटर्न / पीएफ के अनुसार निवेश किया जाना जारी रहेगा।

4. ऐसे अभिदाता इंटर-सेक्टर शिफ्टिंग के बाद उसी निवेश पैटर्न को जारी रखने के बजाय किसी भी अन्य निवेश पैटर्न और पीएफ को चुनने के लिए भी स्वतंत्र होंगे।

5. इसके अतिरिक्त, अभी तक, सरकारी अभिदाता अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने एनपीएस खाते में अंशदान नहीं कर सकते जब तक कि वे अपना खाता जारी रखने का विकल्प नहीं चुनते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि, सरकारी क्षेत्र के तहत ऐसे अभिदाता, सेवानिवृत्ति के बाद इस संबंध में कोई अनुरोध प्रस्तुत किए बिना भी निर्बाध रूप से अपने एनपीएस खाते में अंशदान जारी रख सकते हैं ।

6. *<u>अभिदाता द्वारा सीआरए शुल्क</u>* : अभिदाताओं के पदत्याग / सेवानिवृत्ति के पश्चात सीआरए के वार्षिक रखरखाव शुल्क (एएमसी) और संचालन शुल्क उनकी सेवानिवृत्ति / पदत्याग की अगली तिमाही से संबंधित प्रान (PRAN) से वसूल किए जाएंगे।

भवदीय,

मुख्य महाप्रबंधक

बी - १४/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय ,नई दिल्ली - ११० ०१६
दूरभाष: 011 - 26517501, 26133730, 26133730 फैक्स: 011 - 26517507, वेबसाइट :www.pfrda.org.in
बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवरिया सराय, नई दिल्ली - 110 016
फोन : 011 - 26517501, 26133730 ,26133730 फैक्स: 011 - 26517507 वेबसाइट: www.pfrda.org.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

https://www.staffnews.in